# कृषक भारती कोआपरेटिव लिमिटेड

मानव संसाधन विभाग – सूरत

एचपी/19/स्थापना/आ.घो./2017 दिनांक : 17 फरवरी 2017

## परिपत्र

कृभको कर्मचारी सेवा नियमावली की धारा 24.1.1 और 24.1.2 के अनुसार किसी भी कर्मचारी के माता / पिता को केवल निम्नलिखित स्थितियों में ही आश्रित माना जाएगा:-

**माता / पिता के आश्रित होने के लिए निम्नलिखित मापदण्ड लागू होंगे:-**

1) या तो वह (कर्मचारी का पिता) 58 वर्ष से अधिक आयु का हो या इस सीमा तक अशक्त हो कि वह किसी उचित रोजगार के लिए अयोग्य हो। विधवा माता के मामले में न्यूनतम आयुसीमा की कोई मर्यादा नहीं है।
2) वह किसी पूर्णकालिक लाभकारी रोजगार और / या व्यवसाय में लगा / लगी न हो।
3) वह सामान्यतया कर्मचारी के साथ रहता / रहती हो।
4) कर्मचारी की माता/पिता दोनों की आय को शामिल करके कुल वार्षिक आय रूपये 60,000.00 वार्षिक से अधिक न हो।
5) वह राज्य द्वारा जनसाधारण को दी जाने वाली सामान्य चिकित्सा सुविधाओं को छोड़कर अन्य किसी स्त्रोत से कोई चिकित्सा सहायता सुविधा प्राप्त करने का हकदार नहीं है, और
6) वह अपने किसी अन्य पुत्र या पुत्री या किसी भी अन्य व्यक्ति पर आश्रित नहीं है।

कृभको कर्मचारी सेवा नियमावली की धारा 24.8.0 के अनुसार कर्मचारी द्वारा पूर्व में घोषित किये गये आश्रितों की सूची में किसी प्रकार के परिवर्तन की सूचना एक महीने के अन्दर प्रबंधवर्ग को देनी आवश्यक है।

यह बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य हैं कि **कर्मचारी के आश्रित माता-पिता के मेडिकल क्लेम का भुगतान करने के लिए कृभको प्रत्येक वर्ष अप्रैल महीने में उनकी बीमा पोलिसी लेती है और उनकी किशत का भुगतान किया जाता है।** यह ध्यान में आया है कि कुछ कर्मचारी अपने आश्रित माता-पिता के साथ ही साथ बच्चों की स्थितियों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन होने की सूचना काफी विलम्ब से देते हैं। विलम्ब से सूचना मिलने के कारण हमें आश्रित माता-पिता का भी प्रीमियम भरना पड़ता है जिससे कृभको को नुकसान होता है।

ओमइफको में डेप्यूटेशन पर जाने वाले ऐसे कर्मचारी जिनके माता/पिता उनके आश्रितों की सूची में पहले से ही शामिल हैं वे दो वर्ष की किश्त की राशि एडवान्स में जमा कराकर मेडिकल सुविधा का लाभ ले सकते हैं।

अत: सभी कर्मचारियों का ध्यान विशेष रूप से पुन: इस ओर आकर्षित किया जाता है कि अपने माता-पिता सहित परिवार के अन्य आश्रित सदस्यों की सूची के बारे में अद्यतन जानकारी स्थापना अनुभाग को देने का कष्ट करें। कृपया इस बात का विशेष ध्यान रखें कि समय पर सूचना नहीं मिलने के कारण **यदि कृभको को किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान होगा तो वह राशि संबन्धित कर्मचारी से वसूल की जाएगी।**

सभी का सहयोग अपेक्षित है।

एच. के. चावला

(एच. के. चावला)
मुख्य प्रबंधक (एच.आर.)

**वितरण :-**
सभी अधिकारी/कर्मचारी
सभी सूचनापट्ट

**प्रतिलिपि सूचनार्थ :-**
महासचिव, कृभको आफिसर्स एसोसिएशन/कृभको कर्मचारी संघ